

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित केरियर प्रगति (एसीपी-1/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/ पे-लेवल
1	खूबीराम शर्मा, राउमावि, हलैना जिला भरतपुर	प्रधानाचार्य	26-01-1964	30-11-1996	20 YEAR 29-11-2016	30-11-2016	6800/-
2	श्रीमती सीमा अवस्थी, राउमावि, बापुगांव चाकसु बस्ती जिला जयपुर	प्रधानाचार्य	29-09-1961	19-03-1996	20 YEAR 25-01-2019	26-01-2019	L-17
3	मुकेश सोलंकी, अति० जिशिअ (प्राशि), जालौर	एडीईओ	12-08-1960	03-08-1995	20 YEAR 02-08-2015	03-08-2015	6800/-
4	मांगीलाल रेगर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजसमन्द	व०व्याख्याता	02-05-1960	15-04-1994	20 YEAR 14-04-2014	15-04-2014	6800/-

नोट : -

- 1 एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।
- 2 जिन कार्मिकों ने पदोन्नति का परित्याग किया है उन्हें उतनी अवधि विलम्ब से एसीपी स्वीकृत किया गया है।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

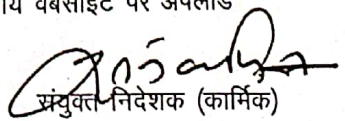
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 08-08-2020

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-3-4/एसीपी/2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 2- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- 3- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा
- 4- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5- संबंधित अधिकारी/संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी
- 6- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर